उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून ..20.. 2019

सेवा में,

शिवम कुमार पुत्र मानपाल
अनुकमांक:101034354
निवासीः नगला महारी कचौरा परगना तह0 व थाना सिंकन्दरा राओ
जिलाः हाथरस 204211

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** हाथरस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून ..20.. 2019

सेवा में,

चन्द्रवीर पुत्र रामवीर सिंह
अनुकमांकः 201034579
निवासीः ग्र0 गढ़ी हरबल पो0 मई थाना सादाबाद
जिलाः हाथरस 281302

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** हाथरस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून ..20.. 2019

सेवा में,

विनीत कुमार पुत्र सुरेश चन्द्र
अनुक्रमांकः 201031378
निवासीः ग्रा0 गोविन्दपुर पो0कंजौली तह0 सादाबाद
जिलाः हाथरस 281306

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** हाथरस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून ..20.. 2019

सेवा में,

विनीत गौतम पुत्र घूरे लाल गौतम
अनुक्रमांकः 201032812
निवासीः ग्रा0 ताजपुर पो0 तर्सीगा थाना सादाबाद
जिलाः हाथरस 281302

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायँगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** हाथरस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून ..20.. 2019

सेवा में,

विष्णु कुमार वर्मा पुत्र खेम सिंह
अनुक्रमांकः 101032595
निवासीः नगला सड़क पो0 जोगिया
जिलाः हाथरस 204101

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** हाथरस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून ..20.. 2019

सेवा में,

नितिन गौतम पुत्र विजय कुमार गौतम
अनुक्रमांक: 201032013
निवासीः मो0 विद्यापतिनगर मुरसान गेट थाना कोतवाली
जिलाः हाथरस 204101

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** हाथरस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

रवेन्द्र सिंह राणा पुत्र विजय सिंह राणा
अनुक्रमांकः 201034933
निवासीः भगवन्तपुर पो0 हतीसा
जिलाः हाथरस 204101

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** हाथरस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** हाथरस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ़ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

सुशील कुमार चौधरी पुत्र महाराज सिंह
अनुकमांकः 201034309
निवासीः ग्रा0 लालगढ़ी पो0 कुरसंडा थाना सादाबाद
जिलाः हाथरस 281306

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

16/6/19

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ्र0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

संदीप कुमार शर्मा पुत्र कमलेश कुमार शर्मा
अनुक्रमांक: 201031882
निवासीः मो0 सीमाउपाध्याय नगर आगरा रोड पुरानी पुलिस लाईन के पीछे
ग्रा0 सिघरौली पो0 हाथरस थाना कोतवाली
तह0 जिलाः हाथरस 204101

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** हाथरस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

विक्की कुमार गुप्ता पुत्र बद्री प्रसाद गुप्ता
अनुकमांक–349462525
निवासी ग्राम निवासी ए–34/73 डी–3 तेलियाना आदमपुर पो0 तेलियाना
जिला–वाराणसी–221001

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

कृष्ण कुमार पुत्र लालमन प्रसाद
अनुक्रमांक–349454529
निवासी ग्राम चॉदमारी बड़ालालपुर पो0 लमही थाना शिवपुर
जिला–वाराणसी–221007

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

16/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

अनुराग कुमार जायसवाल पुत्र कन्हैयालाल जायसवाल
अनुक्रमांक–249453029
निवासी ग्राम लेन न0 02 खुशहाल नगर कालोनी
सेक्टर ए नटनियादाई बड़ालालपुर पो0 कैण्ट
जिला–वाराणसी–221002

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

मोनिश आलम पुत्र मोहम्मद इकबाल
अनुकमांक–249454954
निवासी ग्राम व पो0 मंगलपुर थाना लोहता
जिला–वाराणसी–221007

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

प्रमोद कुमार यादव पुत्र धवल यादव
अनुक्रमांक–349463812
निवासी ग्राम अहरक(पूरबपुर)पो0 जमालपुर थाना बड़ागॉव
जिला–वाराणसी–221105

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

26/6/19

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

राजकुमार यादव पुत्र राम बृक्ष यादव
अनुकमांक–149453320
निवासी ग्राम विकासपुरी कालोनी ककरहीया व
पो0 मंडुआडीह तहसील सदर
जिला–वाराणसी–221103

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 2019**

सेवा में,

संदीप पाल पुत्र श्री आर0एन0 पाल
अनुक्रमांक–349461904
निवासी ग्राम महगॉव पों0 गरथमा थाना चोलापुर
जिला वाराणसी 221208

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत करांना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 2019**

सेवा में,

रितेश कुमार यादव पुत्र राम दुलार यादव
अनुकमांक–149463634
निवासी ग्राम व पो0 नियार थाना चोलापुर
जिला वाराणसी 221101

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

शशांक कुमार सिहं पुत्र बसंत सिंह
अनुकमांक–149453457
निवासी ग्राम व पो0 शाहशाहपुर थाना रोहनिया
जिला वाराणसी 221305

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

निलेश मौर्या पुत्र राम प्यारे मौर्या
अनुक्रमांक–149455084
निवासी ग्राम खनांव पो0 बच्छांव थाना रोहनिया
जिला वाराणसी 221011

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

रामाश्रय यादव पुत्र स्व0 कन्हई यादव
अनुक्रमांक–349466379
निवासी ग्राम भगवानपुर पो0 व थाना चौबेपुर
जिला वाराणसी 221104

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

विनोद कुमार यादव पुत्र श्री कमला प्रसाद यादव
अनुकमांक–103140581
निवासी ग्राम सरैयॉ पों0 कुटीर चक्के थाना जलालपुर
जिला जौनपुर 222146

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

सूरज कुमार पुत्र श्री परदेशी प्रजापति
अनुक्रमांक–203138842
निवासी ग्राम उंचनीकला पो0 कैलावर थाना मडियाहू
जिला जौनपुर 222105

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

कृष्ण कुमार यादव पुत्र श्री सुक्खू राम यादव
अनुकमांक–303133777
निवासी ग्राम बरौली पों0 बेलवां बाजार थाना सिकरारा तहसील मड़ियाहूं
जिला जौनपुर 222161

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 2019**

सेवा में,

विनीत कुमार सिंह पुत्र श्री सुनील सिह
अनुकमांक–303134698
निवासी 43 पड़रछाकोट पो0 चॉदेपुर थाना चन्दवक
जिला जौनपुर 222129

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 **दिनांकःजून 2019**

सेवा में,

सुरेश चन्द्र यादव पुत्र महेन्द्र प्रताप यादव
अनुक्रमांक–203135619
निवासी ग्राम बेलहटा पो0बरपुर थाना बक्शा तह0 सदर
जिला जौनपुर 222109

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

अमित कुमार मिश्रा पुत्र जय प्रकाश मिश्रा
अनुक्रमांक–103130163
निवासी ग्राम व पो0 आशापुर तह0 मडियाहू
जिला जौनपुर 222203

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

अभिषेक कुमार यादव पुत्र श्री भगवानदास यादव
अनुकमांक–303140932
निवासी ग्राम बसारतपुर पो0 सादनपुर थाना बक्शा
जिला जौनपुर 222109

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

मनीष कुमार राय पुत्र श्री दयाशंकर राय
अनुकमांक–103095465
निवासी ग्राम ताजपुर मॉझा पो0 ताजपुर मॉझा थाना जमानियॉ
जिला गाजीपुर 232340

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

हरी शंकर यादव पुत्र श्री निर्मल सिंह यादव
अनुकमांक–203104516
निवासी ग्राम मडरिया पो0 बड़ागॉव थाना दुल्लहपुर
जिला गाजीपुर 275202

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

30/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

विवेक कुमार पाण्डेय पुत्र जितेन्द्र पाण्डेय
अनुक्रमांक–343338953
निवासी ग्राम बहदुरा तह0 व थाना मोहनिया
जिला कैमूर(भभुआ)बिहार 821109

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

शिवम कुमार द्विवेदी पुत्र श्री गणेश द्विवेदी
अनुकमांक–343339195
निवासी ग्राम प्रवेजाबाद वार्ड न0 2 पो0 व थाना सोनपुर
जिला सारण (बिहार)841101

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

अभिमित कुमार पुत्र श्री भुवनेश्वर ठाकुर
अनुक्रमांक–243346923
निवासी ग्राम सुलसाबाद थाना मेहसी
जिला पूर्वी चम्पारण (बिहार)842426

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

कुंदन कुमार पटेल पुत्र श्री सूर्यवर्ती सिंह पटेल
अनुक्रमांक–143346493
निवासी ग्राम बेतरी पो0 भभुआ थाना भभुआ
जिला कैमूर (बिहार)821101

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 2019**

सेवा में,

आनन्द कुमार यादव पुत्र नरसिंह यादव
अनुकमांक–249453680
निवासी ग्राम काकल्पुर पो0 कोहांसी थाना चोलापुर
जिला–वाराणसी–221101

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

सतीश कुमार पुत्र श्री दीनानाथ सिहं
अनुक्रमांक–343342208
निवासी ग्राम ब्यापुर थाना मनेर
जिला पटना (बिहार) 801503

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

राम कुमार आत्रेय पुत्र श्री अशोक कुमार आत्रेय
अनुकमांक–143340060
निवासी ग्राम सिमरी विगहा पो0 व थाना वारिसलीगंज
जिला नवादा(बिहार) 805130

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित्त कराकर तथा नोटरी से सत्यापित्त कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

विशाल सिंह पुत्र श्री प्रमोद सिंह
अनुकमांक–203130357
निवासी ग्राम बोड़सर खुर्द पोखरा थाना चन्दवक पर0 व तह0 केराकत
जिला जौनपुर 222149

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

अनीश भारद्वाज पुत्र फूलचन्द
अनुक्रमांक–249454858
निवासी ग्राम कंचनपुर नई बस्ती डीएल डब्लू थाना मण्डुवाडीह
जिला–वाराणसी–221004

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

सौमित्र सिंह पुत्र विरेन्द्र प्रताप सिंह
अनुक्रमांक–349451785
निवासी ग्राम तेवर (बिचलापुर) थाना चोलापुर पो0 चोलापुर
जिला–वाराणसी–221101

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

कमलेश कुमार गिरि पुत्र दूधनाथ गिरी
अनुकमांक–149462712
निवासी ग्राम अशरफीनगर मड़ाव रोहनियॉ
जिला–वाराणसी–221108

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

हिमांशु मिश्रा पुत्र श्री पी0एन0 मिश्रा
अनुकमांक–249452347
निवासी ग्राम व पो0 खालिसपुर थाना फूलपुर
जिला–वाराणसी–221206

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–**मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)**

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

उत्कर्ष सिंह पुत्र सुशील कुमार सिंह
अनुक्रमांक–149459560
निवासी ग्राम नुऑव पो0 नैपुरा थाना लंका डाकखाना नैपुरा
जिला–वाराणसी–221011

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 2019**

सेवा में,

गौरव यादव पुत्र अमरनाथ यादव
अनुकमांक–349458393
निवासी ग्राम रामपुर पो0 कैथोर थाना चोलापुर
जिला–वाराणसी–221101

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

धमेन्द्र कुमार पुत्र रामराज
अनुकमांक–149454564
निवासी ग्राम दीनापुर पो0 सराय मुहाना थाना सारनाथ
जिला–वाराणसी–221007

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

अजीत यादव पुत्र रामजीत यादव
अनुकमांक–249459227
निवासी ग्राम मठियॉ व पो0 धौरहरा थाना चौबेपुर
जिला–वाराणसी–221104

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

रविन्द्र कुमार यादव पुत्र हरीलाल यादव
अनुकमांक–149458676
निवासी ग्राम दुर्गवों पो0 राजवारी थाना चौबेपुर
जिला–वाराणसी–221116

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

राहुल कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद
अनुक्रमांक–249458292
निवासी ग्राम परमानन्दपुर शिवपुर
पो0 पुलिस स्टेशन शिवपुर
जिला–वाराणसी–221003

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

अमित कुमार पुत्र श्री जय सिंह
अनुकमांक–349463124
निवासी ग्राम बी–22/309,टी–2 किरहिया खोजवां
थाना भेलूपुर जिला–वाराणसी–221010

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

28/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

सुरेन्द्र मौर्या पुत्र श्री विजय कुमार मौर्या
अनुकमांक–349462403
निवासी ग्राम भवानीपुर थाना व पो0 शिवपुर
जिला–वाराणसी–221003

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

अंकित मिश्रा पुत्र श्री उदय कुमार मिश्रा
अनुक्रमांक–149458681
निवासी ग्राम हीरामन पुर थाना सारनाथ पो0 सारनाथ
जिला–वाराणसी–221007

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

चंदन कुमार पुत्र श्री विनोद राय
अनुकमांक–343338573
निवासी ग्राम व पो0 फुदकीचक थाना गोगरी
जिला–खगड़िया ,बिहार–851203

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

शशिरंजन कुमार पुत्र श्री गंगा प्रसाद यादव
अनुक्रमांक–243338333
निवासी ग्राम रामनगर दियारा तह0 रामनगर दियारा थाना अधमल गोला
जिला पटना ,बिहार–803212

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

24/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

अभिनव उपाध्याय पुत्र श्री राम नयन उपाध्याय.
अनुक्रमांक–275537499
निवासी ग्राम बी–50 अशोकपुरम कालोनी
ग्रम व पों0 डाफी थाना लंका
जिला वाराणसी–221011

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

अरविन्द कुमार पुत्र श्री पन्ना लाल यादव
अनुकमांक–149465937
निवासी ग्राम फरीदपुर थाना सारनाथ पो0 सुल्तानपुर सारनाथ
जिला वाराणसी–221007

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 2019**

सेवा में,

जर्रार अहमद अंसारी पुत्र अनवारूल हक अंसारी
अनुकमांक–203133450
निवासी ग्राम सराय त्रिलोकी थाना बदलापुर
जिला जौनपुर 222125

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 **दिनांकःजून 2019**

सेवा में,

लाल साहब यादव पुत्र उदय राज यादव
अनुक्रमांक–203139656
निवासी ग्राम भटपुरा पो0 कोल्हुआ थाना महराजगंज
जिला जौनपुर 222145

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

उत्कर्ष मिश्रा पुत्र श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा
अनुक्रमांक–303133663
निवासी ग्राम दिलशादपुर पो0 तेजीबाजार
थाना महराजगंज तह0 बदलापुर
जिला जौनपुर 222141

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06. 2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

संजीव पाण्डेय पुत्र श्री चन्द्रशेखर पाण्डेय
अनुक्रमांक–303131099
निवासी ग्राम व पो0 अरैला तह0 व थाना मड़ियाहू
जिला जौनपुर 222105

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

रोशन लाल पुत्र श्री सतई
अनुकमांक–303133563
निवासी ग्राम व पो0 गैरवाह थाना सरपतहॉ
वि0ख0 सुइथाकला तह0 शाहगंज
जिला जौनपुर 223103

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

योगेश कुमार यादव पुत्र श्री रविशंकर
अनुक्रमांक–303134625
निवासी ग्राम व ओइना पों0 डिहिंया थाना खूटहन तह0 शाहगंज
जिला जौनपुर 222125

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

16/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

अम्बरीष कुमार मिश्रा पुत्र श्री उदयभान मिश्रा
अनुकमांक–303133624
निवासी ग्राम ढेगहा पों0 गद्दोपुर
थाना महराजगंज तह0 बदलापुर
जिला जौनपुर 222123

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

विजय शंकर मौर्या पुत्र श्री रामआसरे मौर्या
अनुकमांक–203138900
निवासी ग्राम सराय विभार पो0 मितावॉ थाना महराजगंज
जिला जौनपुर 222145

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

सौरभ कुमार दुबे पुत्र दिनेश चन्द्र दुबे
अनुक्रमांक–103136340
निवासी ग्राम पतौरा पो0 बेलहरी
तह0 केराकत थाना केराकत
जिला जौनपुर 222142

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 2019

सेवा में,

दिलीप कुमार यादव पुत्र श्री भाई लाल यादव
अनुकमांक–103138409
निवासी ग्राम व पो0 औरा थाना रामपुर
तह0 मड़ियाहू वि0ख0 रामनगर
जिला जौनपुर 222137

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकः जून 2019**

सेवा में,

गिरधारी लाल यादव पुत्र श्री इन्द्रमणि यादव
अनुकमांक–203138819
निवासी ग्राम व पो0 विझवट थाना महराजगंज
जिला जौनपुर 222125

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 20 2019

सेवा में,

अभिषेक कुमार यादव पुत्र गजराज यादव
अनुकमांक–203136599
निवासी ग्राम रेवचन्दपुर पों0 सदर तह0 सदर थाना सरायखाजा
जिला जौनपुर 222001

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 20 2019**

सेवा में,

दिलीप कुमार यादव पुत्र श्री नन्द लाल यादव
अनुकमांक–303128541
निवासी ग्राम खेताब चड़ई पो0,तह0 व थाना मड़ियाहू
जिला जौनपुर 222161

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 20 2019

सेवा में,

मो0 ताज हसन पुत्र नईम अंसारी
अनुक्रमांक–103135186
निवासी ग्राम व पो0 भानपुर थाना सुरेरी तह0 मड़ियाहू
जिला जौनपुर 222203

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 20 2019

सेवा में,

सावन कुमार पटेल पुत्र श्री सन्तूराम पटेल
अनुकमांक–303132792
निवासी ग्राम व पो0 साहोपट्टी तह0 व थाना मड़ियाहू
जिला जौनपुर 222127

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 20 2019**

सेवा में,

अभिषेक कुमार सिंह पुत्र श्री विनय कुमार सिंह
अनुकमांक–203130297
निवासी ग्राम काफरपुर पो0 पतहना थाना सरायख्वाजा
जिला जौनपुर 222001

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 20 2019

सेवा में,

धीरज कुमार पुत्र श्री राम केवल यादव
अनुकमांक–103129399
निवासी ग्राम असैथापट्टी नौरंग पो0 गैरवाह
थाना सरपतहां तह0 शॉहगंज
जिला जौनपुर 223103

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 20 2019**

सेवा में,

उमेश यादव पुत्र श्रीराम यादव
अनुकमांक–203136589
निवासी ग्राम दनापुर पो0 कलान तह0 व थाना शाहगंज
जिला जौनपुर 222101

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 20 2019

सेवा में,

प्रतीक कुमार पुत्र श्री राधेश्याम
अनुक्रमांक–103133159
निवासी ग्राम मण्डी नसीब खॉ सदर कोतवाली
जिला जौनपुर 222001

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों सें पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 20 2019

सेवा में,

प्रवीण कुमार यादव पुत्र श्री छबीनाथ
अनुक्रमांक–303133590
निवासी ग्राम बनगांव भूमिहार
पो0 बनगांव पट्टी तह0 व थाना बदलापुर
जिला जौनपुर 222125

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 **दिनांकःजून 20 2019**

सेवा में,

सुनील कुमार यादव पुत्र श्री लालबहादुर यादव
अनुक्रमांक–103141102
निवासी ग्राम नेबढिया पो0 बरईपार थाना सिकरारा
जिला जौनपुर 222144

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 20 2019

सेवा में,

विकास चन्द्र मिश्र पुत्र भवानी शंकर मिश्र
अनुक्रमांक–303134736
निवासी ग्राम जमलिया पों0 बुजुर्गा थाना व तह0 मड़ियाहू
जिला जौनपुर 222161

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 20 2019

सेवा में,

मनीष पाल पुत्र श्री विमल चन्द्र पाल
अनुकमांक–203139680
निवासी ग्राम खजुरा पो0 ढेमा थाना बदलापुर
जिला जौनपुर 222125

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 20 2019

सेवा में,

नवीन कुमार तिवारी पुत्र श्री सुशील तिवारी
अनुक्रमांक–103136328
निवासी ग्राम चौबाहा पो0 भगासा थाना सरपतहॉ
वि0ख0 सुइथाकला तह0 शाहगंज
जिला जौनपुर 223102

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 20 2019**

सेवा में,

शिवम यादव पुत्र श्री महेन्द्र कुमार यादव
अनुकमांक–303138155
निवासी ग्राम जमैथा पो0 जमैथा थाना जफराबाद तह0 सदर
जिला जौनपुर 222180

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06. 2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 20 2019

सेवा में,

अजय कुमार यादव पुत्र श्री राम आसरे यादव
अनुक्रमांक–203139842
निवासी ग्राम पालपुर मुरादगंज
तह0 सदर थाना लाइनबाजार
जिला जौनपुर 222002

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 20 2019**

सेवा में,

अभिनव सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह
अनुकमांक–103129341
निवासी ग्राम बॉसबारी पों0 उदयचन्द्रपुर थाना केराकत
जिला जौनपुर 222181

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 20 2019

सेवा में,

योगेश कुमार यादव पुत्र महेन्द्र प्रताप यादव
अनुक्रमांक–203138749
निवासी ग्राम मुरादपुर कोटिला पो0 बदलापुर थाना व तह0 बदलापुर
जिला जौनपुर 222125

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 20 2019

सेवा में,

संदीप कुमार पुत्र सभापति यादव
अनुकमांक–203134589
निवासी ग्राम बालकापुर पचौली
पों0 मनापुर वि0ख0 बरसठी तह0 मड़ियाहू
जिला जौनपुर 222162

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

विष्णु कुमार पुत्र शिवचरन सिंह
अनुक्रमांकः101005087
निवासीः ग्रा0 खेड़ा पो0 दयालनगर थाना खैर
जिलाः अलीगढ़ 202141

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

बृजेश कुमार पुत्र तेजवीर सिंह
अनुक्रमांक:201007615
निवासीः नयावास उर्फ यकताजपुर थाना गौंडा
जिलाः अलीगढ़ 202123

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

चन्द्र विक्रम सिंह पुत्र वासुदेव सिंह
अनुक्रमांक:201001173
निवासीः दुर्गावाडी गली नं0 04 मैरिस रोड
जिलाः अलीगढ़ 202001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

लाल सिंह पुत्र गंगा सरन
अनुकमांकः 301003039
निवासीः कासायान विजयगढ़ थाना विजयगढ़
जिलाः अलीगढ़ 202170

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

राजकिशोर सिंह पुत्र गोपाल सिह
अनुक्रमांक: 101003669
निवासीः ग्रा0 रूपनगर पो0 व थाना पिसावा तह0 भगाना
जिलाः अलीगढ़ 202155

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ्र0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

संतोष कुमार पुत्र जुगेन्द्र सिंह
अनुकमांकः 201002925
निवासीः मौजीपुर पो0 मतरोई तह0/थाना इगलास
जिलाः अलीगढ़ 203124

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ्र0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

अतर पाल सिह पुत्र बद्री सिंह
अनुक्रमांकः 201006690
निवासीः ग्रा0 खुलावली पो0 हबीबगंज थाना छर्रा तह0 अतरौली
जिलाः अलीगढ़ 202130

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

सौरभ कुमार पुत्र राम हेतु सिंह
अनुक्रमांकः 301004768
निवासीः म0नं0 1/35 छावनी नौरंगाबाद तह0 कोल
जिलाः अलीगढ़ 202001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) **सीधी भर्ती-** 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

नितेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह
अनुक्रमांकः 301006413
निवासीः रसूलपुर पो0 जरारा तह0 खैर
जिलाः अलीगढ़ 202138

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

मनीष कुमार सिंरोही पुत्र सोमवीर सिंह
अनुक्रमांकः 101000499
निवासीः दर्शन विहार बन्नादेवी तह0 कोल
जिलाः अलीगढ़ 202001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

देश दीपक पुत्र अशोक कुमार सिंह
अनुक्रमांक:301004067
निवासीः म0नं0 11 बसंत बिहार कालोनी निकट टाइगर लाक फैक्ट्री
पो0 बन्ना देवी जीटीरोड जिलाः अलीगढ़ 202001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(30नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून ..20.. 2019

सेवा में,

योगेश कुमार पुत्र गिर्राज सिंह
अनुक्रमांक:101031793
निवासीः कल्याण कालोनी बी0एच0 तेलमिल रोड सादाबाद गेट
जिलाः हाथरस 204101

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, हाथरस को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

प्रद्युम्न कुमार पुत्र लोकमन सिंह
अनुक्रमांक:201009074
निवासीः ग्राम घघौली पो0 जैतपुरा थाना टप्पल तह0 खैर
जिलाः अलीगढ़ 202165

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

24/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ्र0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

जितेन्द्र कुमार पुत्र अमर पाल सिंह
अनुक्रमांकः 301007673
निवासीः ग्राम चीती पो0 महगौरा थाना पिसावा
जिलाः अलीगढ़ 201155

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

विकास कुमार पुत्र वेदवीर सिंह
अनुक्रमांकः 101008868
निवासीः ग्राम घाघौली पो0 जैतपुरा थाना टप्पल
तह0खैर जिलाः अलीगढ़ 202165

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

पवन कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार
अनुक्रमांक– 130226014
निवासी म0न0–958 मो0 तिहाई पो0 मवाना
थाना– मवाना , जिला मेरठ–250404

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ** परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

सुधीर कुमार पुत्र श्री अजब सिंह
अनुक्रमांक– 330223434
निवासी ग्राम सलाहपुर पो0 बाडम
थाना– रोहटा , जिला मेरठ–250502

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ** परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

राहुल पुत्र श्री चमन लाल
अनुक्रमांक– 330239146
निवासी ग्राम इदरीशपुर, डा0 पेपला ब्लॉक रोहटा
थाना– जानी , जिला मेरठ–250501

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ** परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

पंकज कुमार पुत्र श्री निर्भय सिंह
अनुक्रमांक– 330230161
निवासी ग्राम व पोस्ट रोहटा
थाना– रोहटा , जिला मेरठ–250502

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ** परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

बालेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह
अनुक्रमांक– 230230822
निवासी ग्राम गगौल पो0 खास
थाना– परतापुर , जिला मेरठ

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

अंकुर भाटी पुत्र श्री सोपाल सिंह
अनुक्रमांक– 230236329
निवासी ग्राम झुनझुनी, पो0 बहसूमा, तहसील मवाना
जिला मेरठ–250404

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

24/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ** परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

नितिन पुनिया पुत्र श्री बिरेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक– 330232577
निवासी सरूरपुर खुर्द
थाना– सरूरपुर खुर्द, तहसील सरधना, जिला मेरठ

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ** परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

विपिन कुमार पुत्र श्री महाराज सिंह
अनुकमांक– 130232747
निवासी ग्राम नंगला सलेमपुर पोस्ट राधना
थाना– किठौर , जिला मेरठ–250104

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

पवन कुमार पुत्र श्री उदयबीर सिंह
अनुक्रमांक– 130236866
निवासी 355/4, न्य किशनपुरा, बागपत रोड,
थाना– टी0पी0नगर , जिला मेरठ–250002

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ** परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ्र0-2016)2019 दिनांक- 19 जून 2019

सेवा में,

वरूण कुमार श्री सुभाष चन्द
अनुक्रमांक– 130232132
निवासी ग्राम खाईखेडा पो0 जय सिंहपुर
थाना– मवाना , जिला मेरठ–250401

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- 19 जून 2019

सेवा में,

दीपक कुमार पुत्र श्री चन्द किरण
अनुकमांक– 230228458
निवासी 294, भीमनगर मलियाना
थाना– दौराला , जिला मेरठ–250002

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- 19 जून 2019

सेवा में,

नितिश कुमार पुत्र श्री राम किशन
अनुकमांक– 130233579
निवासी ग्राम पावलीखुर्द पो0 मोदीपुरम
थाना– कंकरखेड़ा , जिला मेरठ–250110

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- 19 जून 2019

सेवा में,

प्रवीन कुमार पुत्र श्री पीतम सिंह
अनुक्रमांक– 330230996
निवासी ग्राम व पो0 रसूलपुर औरंगाबाद
थाना– भावनपुर , जिला मेरठ–250001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- 19 जून 2019

सेवा में,

पप्पी कुमार पुत्र श्री जय करन
अनुक्रमांक– 330227173
निवासी ग्राम बातनौर पोस्ट फलावदा
थाना– फलावदा , जिला मेरठ–250401

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ** परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- 19 जून 2019

सेवा में,

मनजीत पुत्र श्री नन्दकिशोर
अनुक्रमांक– 330230240
निवासी प्रताप नगर जय भीम नगर निकट मेडिकल कालेज गढ़ रोड
थाना– भावनपुर , जिला मेरठ–250004

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

सचिन कुमार पुत्र श्री ऋषिपाल सिंह
अनुक्रमांक– 330226306
निवासी ग्राम पो0 किनौनी
थाना– रोहटा , जिला मेरठ–250502

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

अंकुर सैन पुत्र श्री राजबीर सिंह
अनुकमांक– 330223434
निवासी 198/4, संजय कालोनी बागपत रोड,
थाना– टी0पी0 नगर , जिला मेरठ–250002

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ** परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

प्रदीप सिंह पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक– 130234411
निवासी म0नं0 139 ग्राम व पो0 करनावल निकट हौली चौक
थाना– सरूरपुर , जिला मेरठ–250344

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

गौरव चौधरी पुत्र श्री कृपाल चौधरी
अनुक्रमांक– 230226034
निवासी एल–1/280 श्रद्धापूरी फेज–1, कंकरखेड़ा
थाना– कंकरखेड़ा , जिला मेरठ–250001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

अक्षय पवार कुमार पुत्र श्री प्रदीप पवार
अनुकमांक– 230227830
निवासी ग्राम पबरसा पो0 दौराला
जिला मेरठ

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

विक्रान्त पुत्र श्री तेजवीर सिंह
अनुक्रमांक– 330236401
निवासी 25 अ ग्राम व पो0 करनावल
थाना– सरूरपुर , जिला मेरठ–250344

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

हेमन्त कुमार पुत्र श्री तेजवीर सिंह
अनुक्रमांक– 230238847
निवासी ग्राम तिगरी पो0 मवाना
थाना– मवाना , जिला मेरठ–250502

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

16/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

अंकुश पुत्र श्री ऋषिपाल सिंह
अनुकमांक– 130232699
निवासी ग्राम वलीदपुर पो0 दौराला
थाना– दौराला , जिला मेरठ–250221

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।.

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- 19 जून 2019

सेवा में,

अंकित कुमार पुत्र श्री मांगेराम
अनुकमांक— 130226440
निवासी ग्राम व पो0 हसनपुर कलांगढ़ रोड
थाना— किठौर , जिला मेरठ—250106

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/2019

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

हरि किशन यादव पुत्र हरीशंकर यादव
अनुक्रमांक–349379934
पता– 36बी0 सिमरा गॉव पोस्ट किदवई नगर थाना नौबस्ता
जिला–कानपुर नगर–208011

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** कानपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

रविराजपूत पुत्र अवधेश कुमार राजपूत
अनुक्रमांक–249471507
पता– 211/12 विजय नगर थाना काकादेव
जिला–कानपुर नगर–208005

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** कानपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

७१११ प्र८श। पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

सुमित कुमार पुत्र उमेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–249471917
पता– ग्राम सरैयॉ पो0– श्रीनगर थाना घाटमपुर
जिला–कानपुर नगर–209206

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** कानपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

अभिषेक त्रिपाठी पुत्र मुरली चरण त्रिपाठी
अनुकमांक–249382873
पता– म0न0– 125 पी ब्लाक ठेके वाली गली सैनिक चौराहा यशोदा नगर थाना विधनू
जिला–कानपुर नगर–208011

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** कानपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपाँच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

वैभव मिश्रा पुत्र विनोद मिश्रा
अनुक्रमांक–249374508
पता– डी0 146 बर्रा–8 पो0–थाना बर्रा
जिला–कानपुर नगर–208027

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** कानपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

अश्वनी कुमार पुत्र नगेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–149383732
पता– आराजी नं0 –1485 आई0आई0टी0 सोसाइटी कल्यानपुर निकट आरजी इण्टर कालेज थाना कल्या·
जिला–कानपुर नगर–208016

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं से पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** कानपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

विपिन कुमार पुत्र उदय नारायण वर्मा
अनुक्रमांक–349375471
पता– म0नं0334 गोपालनगर यशोदा नगर थाना नौबस्ता
जिला–कानपुर नगर–208011

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** कानपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

राज सोनकर पुत्र वीरेन्द्र सोनकर
अनुक्रमांक–349376840
पता– म0नं0460 सी ब्लाक पन्की थाना पन्की
जिला–कानपुर नगर–208020

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** कानपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

हिमाँशु तिवारी पुत्र गजन प्रकाश तिवारी
अनुक्रमांक–249375067
पता– ग्राम व पो0– परास थाना घाटमपुर
जिला–कानपुर नगर–209206

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

30/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** कानपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

अनुरूद्व सिंह सेंगर पुत्र संतोष सिंह सेंगर
अनुक्रमांक–349377668
पता– 67डी कल्यानपुर कला कल्यानपुर पनकी रोड थाना कल्यानपुर
जिला–कानपुर नगर–208017

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** कानपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

सौरभ पुत्र रमेश चन्द्र
अनुक्रमांक–349377000
पता– मं0नं0 537 विमान नगर पो0– हरजेन्दर नगर थाना चकेरी
जिला–कानपुर नगर–208007

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** कानपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

सन्दीप ठाकुर पुत्र सुरेश ठाकुर
अनुक्रमांक–349374543
पता– 44सी, युनाइटेड नगर मसवानपुर रावतपुर थाना कल्यानपुर
जिला–कानपुर नगर–208019

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/2019

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** कानपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

सुभेन्द्र गौतम पुत्र कमलेश गौतम
अनुक्रमांक–349373922
पता– एलआईजी 57,भाग–2 गंगागंज कालौनी पनकी थाना पनकी
जिला–कानपुर नगर–208020

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** कानपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

राजेश कुमार विश्वकर्मा पुत्र बृजलाल विश्वकर्मा
अनुक्रमांक–34937216
पता– 815,एसएफ सुन्दरनगर पनकी थाना पनकी
जिला–कानपुर नगर–208020

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** कानपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

गुलशन वर्मा पुत्र अरूण कुमार वर्मा
अनुक्रमांक–349378981
पता– 443, शंकर नगर पो0– हरजेन्दर नगर थाना चकेरी
जिला–कानपुर नगर–208007

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** कानपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

निशान्त महेन्द्रू पुत्र महेन्द्र कुमार महेन्द्रू
अनुक्रमांक–302061149
पता– 3, कृपा कुज कालौनी टीवी0टावर के पास शमशाबाद रोड थाना ताजगंज
जिला–आगरा–282001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

योगेश कुमार पुत्र राजवीर सिंह
अनुक्रमांक–202062132
पता– गली नं0–15 महावीर नगर, शिवनगर जगनेर रोड थाना शाहगंज
जिला–आगरा–282001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

विमल प्रताप पुत्र रविपाल सिंह
अनुक्रमांक–156475206
पता– ग्राम–व पोस्ट जरार,थाना बाह
जिला–आगरा–283104

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

लोकेन्द्र सिंह पुत्र केदार सिंह
अनुक्रमांक–253477965
पता– ग्राम–अभुआपुरा 8/44 उपाध्याय गली पोस्ट किरावली थाना अछनेरा
जिला–आगरा–283122

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना हैं कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपाँच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

मानवेन्द्र सिंह पुत्र किशन लाल
अनुक्रमांक–253475286
पता– ग्राम– नगला कांस पोस्ट कुण्डौल थाना डौकी
जिला–आगरा–283111

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपाँच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

रामअवतार सिंह पुत्र यशपाल सिंह
अनुक्रमांक–102062940
पता– ग्राम–बिसहरा मुरकिया थाना कागारौल
जिला–आगरा–283102

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

राजपाल सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–253477296
पता– ग्राम–बेगमपुर पोस्ट तारौली गूजर थाना फतेहाबाद
जिला–आगरा–283111

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

अमित यादव पुत्र सुग्रीव सिंह यादव
अनुक्रमांक–202062200
पता– ग्राम–पो0–बॉईपुर थाना सिकन्दरा
जिला–आगरा–282007

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

विजय गौतम पुत्र भूपेन्द्र गौतम
अनुक्रमांक–153473257
पता– मं0न0 16 ईश्वर नगर शास्त्री पुरम रोड सिकन्दरा
जिला–आगरा–282007

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

अनिल सिकरवार पुत्र स्व0पूरन सिंह
अनुक्रमांक–202063238
पता– मंगल बिहारी देवरेठा नं0–01 शाहगंज थाना शाहगंज
जिला–आगरा–282010

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

शैलेन्द्र सिंह राघव पुत्र ब्रिजेन्द्र सिंह राघव
अनुक्रमांक–202058536
पता– म0नं0 49 सेक्टर–7 आवास विकास कालौनी सिकन्दरा आइडिया टावर वाली गली थाना जगदीशपुरा
जिला–आगरा–282007

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

केशव देव पुत्र ओम प्रकाश सिंह
अनुक्रमांक–102062803
पता– ग्राम बसैया ज्योतिराज पोस्ट जैंगारा थाना मलपुरा
जिला–आगरा–283122

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

रविन्द्र सिह पुत्र रतन सिंह
अनुकमांक–253477854
पता– ग्राम बुढा पो0– किरावली थाना अछनेरा
जिला–आगरा–283122

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक**, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

रवि सोलंकी पुत्र रामकिशन सोलंकी
अनुक्रमांक–202064584
पता– ग्राम बरौदा सदर पोस्ट महुअर थाना मलपुरा
जिला–आगरा–283122

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

रोहित यादव पुत्र आर0एस0 यादव
अनुक्रमांक–353474364
पता– 63/जे–18ए जैन बिहार डिफेन्स कालोनी थाना सदर
जिला–आगरा–282001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपाँच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

कपिल कुमार कुशवाह पुत्र राज कुमार कुशवाह
अनुक्रमांक–302065016
पता– ईडब्लूएस 442–443 द्वितीय तल सेक्टर–II आवास विकास कालोनी थाना सिकन्दरा
जिला–आगरा–282007

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

सर्वेन्द्र यादव पुत्र सुरेन्द्र सिंह यादव
अनुक्रमांक–353477542
पता– बालाजी नगर थाना एत्मादद्दौला
जिला–आगरा–282006

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

आनन्दवीर सिंह सोलंकी पुत्र प्रताप सिंह सोलंकी
अनुक्रमांक–302062683
पता– मं0नं0 55 गिर्राज नगर लायर्स कालोनी थाना– न्यू आगरा
जिला–आगरा–282005

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

यतेन्द्र सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह
अनुक्रमांक–101047463
पता– ग्राम धाना जीवना पो– धाना जीवना थाना फरह
जिला–मथुरा–281122

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

संजय सिंह तरकर पुत्र अचल सिंह तरकर
अनुक्रमांक–101044082
पता– ग्राम शहजादपुर पौरी रैपुरा जाट थाना फरह
जिला–मथुरा–281122

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

सचिन सिंह चौधरी पुत्र समुन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–301048820
पता– ग्राम नगला झीगा पो0–कोसी खुर्द थाना मगोर्रा
जिला–मथुरा–281005

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

रोहित कुमार पुत्र मोहन श्याम
अनुक्रमांक–301044919
पता– ग्राम व पो0–बन्दी बल्देव थाना महावन
जिला–मथुरा–281301

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

लछिमन सिंह पुत्र भीमसेन
अनुक्रमांक–201046903
पता– ग्राम सुथरिया पो0–गजू थाना राया
जिला–मथुरा–281206

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

प्रमोद कुमार पुत्र बनवारी लाल
अनुक्रमांक–201047545
पता– ग्राम खेड़िया पो0– सेरसा थाना रिफाइनरी
जिला–मथुरा–281005

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

पंकज शर्मा पुत्र बिहारी लाल शर्मा
अनुक्रमांक–301044003
पता– ग्राम अयोध्या नगर पो0–लोहवन थाना जमुनापार
जिला–मथुरा–281001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त सख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपाँच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र पूरन चन्द्र शर्मा
अनुक्रमांक–201044427
पता– म0नं0– 1/104 पुलिस लाइन मथुरा थाना सदर
जिला–मथुरा–281001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

अजीत चौधरी पुत्र महेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–201046190
पता– म0नं0– 9 बी माधवपुरी महोली रोड मथुरा पोस्ट कृष्णा नगर थाना कोतवाली जिला–मथुरा–281004

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपाँच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

दीपक हसंन पुत्र बच्चू सिंह
अनुक्रमांक–301048936
पता– ग्राम नगला खारी पो0– फौडर थाना मगोर्रा मथुरा
जिला–मथुरा–281123

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपाँच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

हाकिम सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–201050346
पता– ग्राम मनीगढ़ी पोस्ट रायपुर थाना नौझील
जिला–मथुरा–281203

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपाँच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

नागेन्द्र सिंह पुत्र रनवीर सिंह
अनुक्रमांक–301047226
पता– ग्राम जेसी–16 चन्दवन फेस–1 थाना–हाइवे
जिला–मथुरा–281001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपाँच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

अंकित सिंह पुत्र तेज सिंह
अनुक्रमांक–301043932
पता– ग्राम व पो0– आयरा खेडा थाना राया
जिला–मथुरा–281204

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं से पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

दीपक सैनी पुत्र हुकम सिंह सैनी
अनुक्रमांक–201044461
पता– ग्राम बाग पचौरी पोस्ट व थाना महावन
जिला–मथुरा–281305

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपाँच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

गुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र भगवान सिंह
अनुक्रमांक–301048925
पता– ग्राम सीयररा पोस्ट व थाना राया
जिला–मथुरा–281204

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फ़ोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

सन्दीप कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–201047553
पता– ग्राम मुडिलिया पो0–बाजना थाना नौझील
जिला–मथुरा–281201

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

कप्तान सिंह पुत्र खजान सिंह
अनुक्रमांक–301044693
पता– ग्राम प्रीती बिहार कालौनी लक्ष्मी नगर राया रोड पो0– लोहवन थाना जमुनापार
जिला–मथुरा–281204

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र
अनुक्रमांक–201050409
पता– ग्राम व पोस्ट जाव थाना कोशीकला
जिला–मथुरा–281403

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

हरे कृष्ण पुत्र जयमंगल
अनुक्रमांक–101050018
पता– डी–10 नई तहसील परिसर छाता थाना छाता
जिला–मथुरा–281401

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/2019

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

प्रशान्त कुमार पुत्र बडे लला
अनुक्रमांक–101038703
पता– ग्राम नगला बलू पो0–सिमरई थाना बिछवॉ
जिला–मैनपुरी–205267

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मैनपुरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

इतेन्द्र कुमार पुत्र राम रतन
अनुक्रमांक–301037274
पता– ग्राम–भरतपुर पो0–चितायन थाना किशनी
जिला–मैनपुरी–206303

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मैनपुरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

जयदीप सिंह पुत्र शैतान सिंह
अनुक्रमांक–201039554
पता– ग्राम उदयपुर पो0– अगौथा थाना कोतवाली
जिला–मैनपुरी–205247

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मैनपुरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

अतिम यादव पुत्र ओमकार सिंह यादव
अनुक्रमांक–101042292
पता– ग्राम छिनकौरा गढिया पो–गढिया थाना बेवर
जिला–मैनपुरी–205301

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/2019

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मैनपुरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

अजय यादव पुत्र राधवेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–201039975
पता– ग्राम धौकलपुर पो0–तिसौली थाना विछवॉ
जिला–मैनपुरी–205267

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम 30प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/2019

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मैनपुरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

प्रदीप कुमार पुत्र रामेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–301040371
पता– ग्राम नगला खुशाली पो0–बेलाहार थाना कुरावली
जिला–मैनपुरी–205265

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मैनपुरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

अजीत सिंह पुत्र अखिलेश सिंह
अनुक्रमांक–301036804
पता– ग्राम व पो0–जासमई थाना– बेवर
जिला–मैनपुरी–209720

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मैनपुरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

पवन कुमार पुत्र शिव नाथ सिंह
अनुक्रमांक–301036730
पता– ग्राम पृथ्वीपुर पो0–थाना–किशनी
जिला–मैनपुरी–205303

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मैनपुरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

राजन यादव पुत्र धर्मदास सिंह यादव
अनुक्रमांक–201041012
पता– ग्राम जगतपुर खास पो0– परौखा थाना बेवर
जिला–मैनपुरी–205301

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मैनपुरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

अटल बिहारी पुत्र बालकृष्ण शाक्य
अनुक्रमांक–101040613
पता– ग्राम चौहानपुर पो0–अजीतगंज थाना एलाऊ
जिला–मैनपुरी–205247

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ मैं योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मैनपुरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

दीपक यादव पुत्र अहेश राम
अनुक्रमांक–201042654
पता– ग्राम गढिया अहलादपुर पो0–गढिया थाना करहल
जिला–मैनपुरी–205264

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मैनपुरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

अभिषेक सिंह यादव पुत्र नेम सिंह यादव
अनुक्रमांक–301036697
पता– किशनी रोड करहल,पो0–थाना करहल
जिला–मैनपुरी–205264

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मैनपुरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

अमित यादव पुत्र सुन्दर लाल यादव
अनुक्रमांक–201042620
पता– ग्राम–पो0–अजीतगंज थाना एलाऊ
जिला–मैनपुरी–205547

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक**, मैनपुरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय**, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

रवि यादव पुत्र दुर्वीन सिंह
अनुक्रमांक–301042052
पता– ग्राम–न0 रढ़ा पो0–बादशाहपुर थाना घिरोर
जिला–मैनपुरी–205121

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मैनपुरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

राहुल कुमार पुत्र राजवीर सिंह
अनुक्रमांक–301040263
पता– ग्राम–सोवनपुर पो0–परौखा थाना बेवर
जिला–मैनपुरी–206301

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मैनपुरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

धनश्याम लवानियॉ पुत्र प्रेम चन्द्र लवानियॉ
अनुक्रमांक–302058783
पता– ग्राम–गडपुरा पो0–सलेमाबाद थाना फतेहपुर सीकरी
जिला–आगरा–283122

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मैस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

पवन प्रताप पुत्र महावीर सिह सोलकी
अनुक्रमांक–153473327
पता– ग्राम–बिसैरी भॉड पोस्ट बमरौली कटारा थाना डौकी
जिला–आगरा–202006

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

अमित सिंह राघव पुत्र सूरजपाल सिंह राघव
अनुक्रमांक–102059470
पता– मं0नं0–4/5 प्लाट अर्जुन नगर ककरैठा पो0–सिकन्दरा थाना सिकन्दरा
जिला–आगरा–282007

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

रोहित सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह
अनुक्रमांक–153475875
पता– ग्राम फरैयापुरा पोस्ट फरैरा थाना वाह
जिला–आगरा–283113

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

20/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 19 2019

सेवा में,

सनी यादव पुत्र रविन्द्र सिंह यादव
अनुक्रमांक–153477095
पता– ग्राम नगला हंसराज मौजा धरेरा एत्मादपुर थाना एत्मादपुर
जिला–आगरा–283202

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,** मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0पि0ना0पु0परी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

पवन पाण्डेय पुत्र श्री आनन्द पाण्डेय
अनुक्रमांक–1756514132
निवासी–ग्राम बीरपुर पोस्ट दुमदुमा
थाना–हण्डिया जनपद–प्रयागराज

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रशि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

2/9/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सुनील कुमार यादव पुत्र श्री रामदरश सिंह यादव
अनुक्रमांक–203105461
निवासी–ग्राम ई–ए–385 एडीए कालोनी नैनी
थाना–नैनी जनपद–प्रयागराज

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
कि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

पार्थ तिवारी पुत्र श्री ओमप्रकाश तिवारी
अनुक्रमांक–2756188586
निवासी–ग्राम नीची कला
थाना–कूसी जनपद–प्रयागराज

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

1/9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
कृते पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संरक्षा प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

प्रशान्त पाण्डेय पुत्र श्री रमेश पाण्डेय
अनुक्रमांक–1785112484
निवासी–सांव बरहपुर फॉरेस्ट इलाहाबादगंज
थाना–थरवई जनपद–प्रयागराज

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणापत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

17/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नकः- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

भृगुपति त्रिपाठी पुत्र श्री विवेकानन्द त्रिपाठी
अनक्रमांक–1755115443
निवासी–ग्राम जोटाह पो0 बढ़हा जारीबाजार
थाना–कौंधियारा जनपद–प्रयागराज

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः पाँच– ।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अभिषेक सिंह पुत्र श्री सुखेचार सिंह
अनुक्रमांक–1755239274
निवासी–ग्राम कुल्हा का पुरा डबारका
थाना–कुसुमुर जलालपुर–प्रयागराज

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम सा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-स-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, बहनोई के बाण्ड, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी को आगत प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नकः- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

रोहित कुमार तिवारी पुत्र श्री बनवारी तिवारी
अनुक्रमांक–17661407
निवासी–ग्राम पण्डित का पुरा पो0 दुमदुमा
थाना–हण्डिया जनपद–प्रयागराज

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0मा0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

मो0 परवेज पुत्र श्री मुजीबुद्दीन
अनुक्रमांक–17851342 7
निवासी–ग्राम जमरहुरी पो0 हरदेवगंज
थाना–मझआईया जनपद–प्रयागराज

विषयः–उपनिरीक्षक मा0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रशि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक मा0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के मानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः–, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0भा0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अवीक्षित यादव पुत्र श्री प्रमोद कुमार यादव
अभ्यर्थी क्रमांक–3755280087
निवासी–ग्राम सरायतकी
थाना–झूसी जनपद–प्रयागराज

विषयः–उपनिरीक्षक भा0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-घ-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक भा0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
जि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संरक्षा उपमुख्य पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

मिथिलेश कुमार प्रजापति पुत्र श्री सजावन प्रजापति
अनुक्रमांक–17955/573
निवासी–ग्राम जरवाडीह पोस्ट महानुआड़
थाना–फूलपुर जजमऊ–प्रयागराज

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.09.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विकल प्राप्तिस्थान पुत्र श्री राजीव कुमार त्रिपाठी
अभ्यर्थी क्रमांक–3755246618
निवासी–ग्राम 969/2/202 ए जोहबलिया बाग
थाना–जार्जटाउन, जनपद–प्रयागराज

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मैस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र** को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

रवि सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह
अभ्यर्थी क्रमांक–2020709846
निवासी–कासमपुर, बौजाकाशीपुर
थाना–[illegible]

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

रवि सिंह पुत्र श्री जाहिम सिंह
रूचकमांक--2003079346
निवासी--कामासपुर, मौजाकाशीपुर
थाना--मझारागंज जनपद--अयोध्या

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपैण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
कृते पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

आशुतोष सिंह पुत्र श्री रवीन्द्र कुमार सिंह
अनुक्रमांक–1030800973
निवासी–ग्राम सलाहपुर महाराजगंज
थाना–जैन्ट जनपद–अयोध्या

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायँगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

24/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉल्ल–।।।(उ0मि0ना0पु0भ0ती0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अवधेश ओझी पुत्र श्री हरिशंकर ओझी
अनुक्रमांक–3020083774
निवासी–ग्राम सरसांव बेलवारी
थाना–मोहाईसंज जनपद–अयोध्या

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम ना0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रशि0-ब-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा इसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
कृ0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

गिरिजेश सिंह पुत्र श्री प्रवीण कुमार सिंह
अनुक्रमांक–3332861972
निवासी–राम कृष्णानगर कालोनी फेज–1 देवकाली
थाना–कोतवाली अयोध्या जनपद–अयोध्या

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 भोज एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
कि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

जनार्दन पुत्र श्री रामदयाल
अनुक्रमांक–2030728990
निवासी–ग्राम धीरूनपुर पोस्ट गोपालपुर
थाना–कौड़ा जलालपुर–अम्बेडकर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान से निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

हरिशंकर पुत्र श्री भवानीलाल
रोलनम्बर–2832922873
निवासी–ग्राम इमदहैया पूरे भरईपुर
थाना–कुमारगंज जनपद–अयोध्या

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम ना0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपीव–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अजय सिंह वर्मा पुत्र श्री शिवकान्त वर्मा
अनुक्रमांक–1632282831
निवासी–ग्राम बिरौली पूरे नफरी पोस्ट ज्योति भवन
थाना–पूराकलन्दर जनपद–अयोध्या

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराया है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रशि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के लालजुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
जि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

नीरज पाण्डेय पुत्र श्री प्रेमनरायण पाण्डेय
अनुक्रमांक–1089060349
निवासी–ग्राम खैपुर पोस्ट सरियावा
थाना–पूराकलन्दर जनपद–अयोध्या

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नकः- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच– ।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह
अनुक्रमांक–2333333333
निवासी–ग्राम अलादपुर पोस्ट चिर्रा मोहम्मदपुर
थाना–रौनाही जनपद–अयोध्या

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम ना0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले** प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- प्रंसथा पदमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच--111(उ0नि0भा0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

पूर्णकाल सिंह पुत्र श्री धनंजय सिंह
अनुक्रमांक-2018031979
निवासी-ग्राम व पोस्ट टिकरी
थाना-लालगंज जनपद-अयोध्या

विषयः-उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती-2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम ना0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-ध-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा इसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

10/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
कृते पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (उक्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

निखिल कुमार यादव पुत्र श्री रामशंकर यादव
अभ्यर्थी क्रमांक–3332281552
निवासी–ग्राम बौड़हिया
थाना–महाराजगंज जनपद–अयोध्या

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः18160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजें जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 29.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, बिछौने के बन्ध, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के आधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच--।।।(उ0नि0भा0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

हरिशंकर सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह
अनुक्रमांक--302663881
निवासी--ग्राम कासमन्दपुर पूरे सिंह
थाना--खंडासा जनपद--अयोध्या

विषयः--उपनिरीक्षक भा0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-स-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 में सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक भा0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई याचा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
लि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0मा0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

निखिल कुमार शर्मा पुत्र श्री गिरिश बाबू शर्मा
अनुक्रमांक–1010152252
निवासी– ग्राम ज्योतिकुंज कालोनी
थाना–टुण्डला जनपद–फिरोजाबाद

विषयः–उपनिरीक्षक मा0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक मा0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नकः- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पाँच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

दिलीप कुमार पुत्र श्री हरीश कुमार
अभ्यर्थी क्रमांक--1010160061
निवासी-- ग्राम मोहम्मदपुर अहिर
थाना--शिकोहाबाद जनपद--फिरोजाबाद

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण, के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

वीरज कुमार पाठक पुत्र श्री बलवीर प्रसाद
अनुक्रमांक--101015177
निवासी-- म0न0 221 निजामी बस्ती टुण्डला
थाना--टुण्डला जनपद--फिरोजाबाद

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम ना0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
कृ0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनपाल सिंह
अनुक्रमांक–3010118245
निवासी– ग्राम पहानपुर पो0 अकबरपुर
थाना–जसराना जनपद–फिरोजाबाद

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपीब--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

राष्ट्रदीप सिंह पुत्र श्री गजेन्द्रपाल सिंह
अनुक्रमांक--3019146998
निवासी-- ग्राम परसपुर पो0 हिम्मतपुर
थाना--शकोहाबाद जनपद--फिरोजाबाद

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजें जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नकः मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अतुल कुमार पुत्र श्री शैलेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–2010186684
निवासी– ग्राम मसला मुल्लाह
थाना–नगला खंगड़ जनपद–फिरोजाबाद

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात, बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉक्र–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

मंजेश कुमार पुत्र श्री पूरन सिंह
अनुक्रमांक–1010116175
निवासी– ग्राम ककरऊ जलेसर
थाना–उत्तर जनपद–फिरोजाबाद

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

कृष्ण कुमार पुत्र श्री महेश चन्द्र यादव
अनुक्रमांक–201018671
निवासी– ग्राम व पो0 टीकरी फिरोजाबाद
थाना–नगलाखीधी जनपद–फिरोजाबाद

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2018)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

कुलदीप पुत्र श्री हरी प्रकाश
अनुक्रमांक–3919017448
निवासी– ग्राम प्रहलादपुर रोड झलिका पुरी
थाना–शिकोहाबाद जनपद–फिरोजाबाद

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रभुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सुमित यादव पुत्र श्री रामकुमार सिंह
अनुक्रमांक–101015223
निवासी– ग्राम एटारोड एफसीआई गोदाम के सामने नियर सुमित मेडिकल
थाना–शिकोहाबाद जनपद–फिरोजाबाद

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

राजमोहन पुत्र श्री धनेन्द्र कुमार
अनुक्रमांक--3010015809
निवासी-- ग्राम चुड़ियालीकुर पो0 उखरेण्ड
थाना--सिरसागंज जनपद--फिरोजाबाद

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

रजनीश यादव पुत्र श्री दिनेश चन्द्र यादव
अनुक्रमांक–3016017316
निवासी– ग्राम अछमपुर पो0 मकखनपुर
थाना–मकखनपुर जनपद–फिरोजाबाद

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
कृते पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

वेद प्रकाश पुत्र श्री रामचरन
अनुक्रमांक–10102320
निवासी– ग्राम बजीदपुर पो0 कोहला
थाना–नसरुल्ला जनपद–फिरोजाबाद

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 बेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षणः के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

24/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह
अनुक्रमांक--3010182249
निवासी-- ग्राम व पोस्ट गौड़ा
थाना--नगली जनपद--फिरोजाबाद

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः पाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

आनन्द कुमार मिश्रा पुत्र श्री दूधनाथ मिश्रा
अनुक्रमांक–249413729
निवासी– ग्राम फेकरा पो0 पसाई
थाना–बखिरा जनपद–कबीरनगर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, कबीरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** बस्ती परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

जितेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री रामशकबाल वर्मा
अनुक्रमांक--3382692414
निवासी-- ग्राम नवाबलपुर मिश्र
थाना--हर्रैया जनपद--बस्ती

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः18160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, बस्ती को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** बस्ती परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

रामप्रकाश वर्मा पुत्र श्री हरीराम वर्मा
अनुक्रमांक–3332000408
निवासी– ग्राम मजगवांमाफी
थाना–पश्चसमांपुर जनपद–बस्ती

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, बस्ती को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** बस्ती परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

शैलेन्द्र पुत्र श्री सुरेश सिंह
अनुक्रमांक–1303867588
निवासी– ग्राम फरेन्दा सेमर
थाना–कप्तानगंज जनपद–बस्ती

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-ब-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, बस्ती को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, बस्ती परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

बिहार प्रदेश पुत्र श्री राधवदास वर्मा
अनक्रमांक--3332503325
निवासी--ग्राम किवलापुर पो0 इब्रिलिफाहनगंज
थाना--इब्राहिमपुर जनपद--अम्बेडकरनगर

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम ना0, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रामि0-प-237/2019/1187 दिनांक 19.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के अध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

इकल प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगरको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

धर्मेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री अवधेश प्रताप सिंह
अनुक्रमांक–2033B1760
निवासी–देवरहाकोट
थाना–रौनाही जनपद–अयोध्या

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-च-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षणों के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

आस्तिक त्रिपाठी पुत्र श्री शेष कुमार त्रिपाठी
अभ्यर्थी क्रमांक–103063975
निवासी– ग्राम पूरेखौजी विश्व पो0 मामापुर
थाना–मुशीगंज जनपद–अमेठी

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अमेठी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नकः- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

साहुल कुमार सिंह पुत्र श्री विनोद कुमार सिंह
अनुक्रमांक–2494460G8
निवासी– ग्राम खोजापुर जमालपुर जजरही
थाना–जयसिंह पुर जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अनुराग शर्मा पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा
अनुक्रमांक–149445125
निवासी– ग्राम निरालानगर
थाना–कोतवाली नगर जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अंकित कुमार पुत्र श्री कालिका प्रसाद तिवारी
अनुक्रमांक–149442416
निवासी– ग्राम राईबीगो सिधाह
थाना–कादीपुर जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 बेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

मातबर सिंह पुत्र श्री बृजकिशोर सिंह
अनुक्रमांक–3496440476
निवासी– ग्राम पूहेसेम सिंह रामनगर
थाना–कूडेभार जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

4/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

लवनीत प्रताप सिंह पुत्र श्री संतोष कुमार सिंह
अनुक्रमांक–349442700
निवासी– ग्राम व पो0 ताजुद्दीनपुर
थाना–अखण्डनगर जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

4/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नकः- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

समायण सिंह पुत्र श्री लालबहादुर सिंह
अनुक्रमांक–249446105
निवासी– ग्राम भाटी धम्मौर
थाना–धम्मौर जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
कृ0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नकः- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अनुराग सिंह पुत्र श्री अमरनाथ सिंह
अभ्यर्थी क्रमांक--249441493
निवासी-- ग्राम रोहियाना बड़ौसापुर
थाना--डोमरपुर जनपद--सुल्तानपुर

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

हरिनन्द सिंह पुत्र श्री रामराज सिंह
अनुक्रमांक–303070566
निवासी– ग्राम बकसनपुर पो0 कनवा
थाना–हैदरगढ़ जनपद–बाराबंकी

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःघॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अनुराग सिंह पुत्र श्री चंद्रकिशोर सिंह
अनुक्रमांक–1080704796
निवासी– ग्राम व पो0 पलिया
थाना–सुबेहा जनपद–बाराबंकी

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

मेराज अहमद पुत्र श्री जलाल अहमद
अनुक्रमांक–140441315
निवासी– म0न0 1807 घरहाकलां डिहवा
थाना–कोतवाली नगर जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

4/9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अजीत कुमार वर्मा पुत्र श्री गंगाराम वर्मा
अनुक्रमांक–24944698
निवासी– ग्राम सलामटडी पो0 अकोढा
थाना–गोसाईगंज जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नकः- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

दिनेश चन्द्र यादव पुत्र श्री बिन्धेश्वर यादव
अनुक्रमांक–1409441628
निवासी– ग्राम रामीगंज पो0 गोदावरिक
थाना–कोतवाली जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात, बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विनय कुमार माधव पुत्र श्री लेजबहादुर यादव
अनुक्रमांक–1494428886
निवासी– ग्राम मधइया पो0 महारानी पश्चिम
थाना–चान्दा जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रशि0-प-237/2019/1187 दिनांक 13.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

उबैदुल्ला अंसारी पुत्र श्री युनूस अंसारी
अनुक्रमांक–149441913
निवासी– ग्राम व पोस्ट झरकोड़ा
थाना–कुड़वार जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 बेड एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/9/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विश्वनाथ पाल पुत्र श्री राम आनन्द पाल
मूलकमांक–149441289
निवासी– ग्राम जहानियापुर पो0 सफीपुर
थाना–चांदा जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-ध-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के अध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

14/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पाँच-- ।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

नीरज कुमार पुत्र श्री रवीन्द्र नाथ उपाध्याय
अनुक्रमांक-2494406995
निवासी-- ग्राम भदौला तुलसी पट्टी
थाना-करौंदीकला जनपद-सुल्तानपुर

विषयः-उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती-2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विकास पुत्र श्री रामबहादुर
अनुक्रमांक–2490442041
निवासी– ग्राम पतिपुर पोस्ट पतिपुर
थाना–पीपरपुर जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

16/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच– ।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

शेषनाथ वर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र वर्मा
अनुक्रमांक–149441776
निवासी– ग्राम छिहवा पो0 दुबेपुर
थाना–कोतवाली देहात जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रनि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0भा0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

समीर रंजन मिश्र पुत्र श्री प्रदीप कुमार
अनुक्रमांक–203172085
निवासी– ग्राम कटरा लालगंज
थाना–मौरीगंज जनपद–अमेठी

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

4/9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अमेठी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अतुल श्रीवास्तव पुत्र श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव
अनुक्रमांक–3030899834
निवासी– ग्राम लौकीपुर पो0 एच0एल0
थाना–मुसाफिरगंज जनपद–अमेठी

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अमेठी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019.

सेवा में,

अतुल रंजन तिवारी पुत्र श्री इन्द्रभानू तिवारी
अनक्रमांक--1030888869
निवासी-- ग्राम पूरे प्रेमशाह पो0 मुसाफिरखाना
थाना--मुसाफिर खाना जनपद--अमेठी

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 मे सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अमेठी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉस्प--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

दिग्विजय सिंह पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह
अनुक्रमांक--2030072836
निवासी-- ग्राम एत्मादपुर हवेली त्रिवेदीगंज
थाना--लोनी कटरा जनपद--बाराबंकी

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सौरभ कुमार वर्मा पुत्र श्री सुशील कुमार वर्मा
अनुक्रमांक–3038073867
निवासी– ग्राम 327 अयोध्या नगर मस्जिद के पास
थाना–कोतवाली जनपद–बाराबंकी

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
लि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विनीत कुमार यादव पुत्र श्री राजदेव यादव
अनुक्रमांक–149447872
निवासी– ग्राम व पो0 भपट्टा
थाना–कोतवाली देहात जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच--।।।(उ0नि0भा0पु0सी0भा0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अनूप कुमार पुत्र श्री उमाशंकर वर्मा
अनुक्रमांक--3499445762
निवासी-- ग्राम सजइया पो0 लहुसमऊ
थाना--कोतवाली जनपद--सुल्तानपुर

विषयः--उपनिरीक्षक नि0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक नि0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नकः- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच्च–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अभिषेक प्रताप सिंह पुत्र श्री अनिल कुमार सिंह
अनुक्रमांक–149446289
निवासी– ग्राम ताजुद्दीनपुर
थाना–अखण्डनगर जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विकास आनन्द वर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद
क्रमांक–303079797
निवासी– ग्राम अभयनगर निकट पुराना कुशमेस गैस गोदाम के0डी पैलेस
थाना–कोतवाली नगर जनपद–बाराबंकी

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सुमित कुमार वर्मा पुत्र श्री रामनरायन वर्मा
अनुक्रमांक–3030430665
निवासी– ग्राम कमसावा पोस्ट नानमऊ
थाना–जैदपुर जनपद–बाराबंकी

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019.

सेवा में,

सुशील कुमार सिंह पुत्र श्री रामधीरज सिंह
अनुक्रमांक–1089970891
निवासी– ग्राम पचोतनी लालपुर कदौला
थाना–मोहम्मदपुर खाला जनपद–बाराबंकी

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानज्युडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सलेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिदीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःप्रॉच–।।।(उ0नि0मा0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

लवकुश कुमार पुत्र श्री रामजियावन वर्मा
अनुक्रमांक–2030726007
निवासी– ग्राम पूरेखुशाली
थाना–कोठी जनपद–बाराबंकी

विषयः–उपनिरीक्षक मा0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक मा0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः पॉच्र–।।।(उ0वि0ना0पु0सी0प0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

पंकज कुमार पुत्र श्री रक्षाराम वर्मा
अनुक्रमांक–30307056
निवासी– ग्राम नयापुरवा
थाना–असन्द्रा जनपद–बाराबंकी

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की बेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्यारी लाल
अनुक्रमांक–3030728889
निवासी– ग्राम केवलापुर पो0 मुरादाबाद
थाना–सलेमपुरमंज जनपद–बाराबंकी

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नकः- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

शिवशंकर पाण्डेय पुत्र श्री कृष्णदेव पाण्डेय
अनक्रमांक–349441131
निवासी– ग्राम व पो0 अहद्दा
थाना–मोतीगरपुर जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य मे पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

दीपक कुमार पुत्र श्री विश्वम्भरनाथ
अनुक्रमांक–149441766
निवासी– ग्राम रामपुर हनुमानगंज
थाना–कोतवाली देहात जनपद–सुल्तानपुर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 बेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नकः- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

ब्रम्हेश कुमार पुत्र श्री ब्रहम कुमार मिश्र
अनुक्रमांक--249445188
निवासी-- ग्राम भवानीपुर पो0 लवक्कलपुर नगरा
थाना--कादीपुर जनपद--सुल्तानपुर

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विमल कुमार पुत्र श्री जगजीवन
अनुक्रमांक–203067353
निवासी– ग्राम हसवा सुरवन पो0 मोहम्मदपुर
थाना–जगदीशपुर जनपद–अमेठी

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई याचा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
मि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अमेठी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

समरजीत पुत्र श्री धर्मराज
अनुक्रमांक–303088735
निवासी– ग्राम मैमोरा
थाना–संग्रामपुर जनपद–अमेठी

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

14/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अमेठी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पाँच– ।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अंशुमान मिश्र पुत्र श्री चन्द्रशेखर मिश्र
अनुक्रमांक–2030698660
निवासी– ग्राम गोपालापुर पो0 मिल्कई
थाना–पीपरपुर जनपद–अमेठी

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय** मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय** मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 **सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य** तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के आधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अमेठी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेसर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

धर्मेन्द्र सिंह गहलोत पुत्र श्री जगदीश सिंह
अनुक्रमांक–202083228
निवासी– 66/4 नेहर लाइन 15 बटालियन पीएसी ताजगंज
थाना–हरीपर्वत जनपद–आगरा

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणामे मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच--।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

दिनेश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश
अनुक्रमांक--2534786602
निवासी-- ग्राम व पो0 पनवारी तहसील किरावली
आगा--बिलकुवरा जनपद--आगरा

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

रवि पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा
अभ्यर्थी क्रमांक-2504777787
निवासी- ग्राम व पो0 धनौली सरकारी स्कूल के पास
थाना-सलपुवा जनपद-आगरा

विषयः-उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात, बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अभिषेक चौहान पुत्र श्री महादेव सिंह
अनुक्रमांक–202060765
निवासी– ग्राम 37वी/30 नगला हवेली बयालबाग आगरा
थाना–न्यू आगरा जनपद–आगरा

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉस्ट–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

प्रदीप कुमार गौतम पुत्र श्री पुरुषोत्तम गौतम
अनुक्रमांक–1403407080
निवासी– 2–क, 193–194 शिवाजीपुरी अलवर
थाना–शिवाजी पार्क जनपद–अलवर राजस्थान

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आबंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

4/9/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
लि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नकः- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अजय सिंह पुत्र श्री रामवीर सिंह
अनुक्रमांक--3020093715
निवासी-- ग्राम व पो0 जरुआ कटरा
थाना--मलपुरा जनपद--आगरा

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

10/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विरेन्द्र सिंह मलिक पुत्र श्री चलूक सिंह मलिक
अनुक्रमांक–3022063267
निवासी– मकान 35 गणपति इन्क्लेव बाईपास रोड मैनपाजाड
थाना–आगरा जनपद–आगरा

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

नीरज कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार
अनुक्रमांक--1494693183
निवासी-- ग्राम बहज पो0 बहज
थाना--डींग जनपद--भरतपुर राजस्थान

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

रामकुमार पुत्र श्री भजनलाल
अनुक्रमांक–1404866503
निवासी– ग्राम बहलाना पो0 बहलाना
थाना–डींग जनपद–भरतपुर राजस्थान

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित **उपनिरीक्षक ना0पु0** के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नालजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
लि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

हितेश कुमार शर्मा पुत्र श्री दिनेश चन्द्र शर्मा
अनुक्रमांक--149466972
निवासी-- ग्राम बुटौली
थाना--लक्ष्मण गढ़ जनपद--अलवर राजस्थान

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सुमित कुमार यादव पुत्र श्री भोलायाद यादव
अनकपांक–14946866513
निवासी– ग्राम खोईरी पोस्ट खोहरी
थाना–बहरोड जनपद–अलवर राजस्थान

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

4/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

गुलाब सिंह पुत्र श्री हेत सिंह
अनुक्रमांक–2404866320
निवासी– ग्राम हेलक गेट कुम्हेर तहसील कुम्हेर
थाना–कुम्हेर जनपद–भरतपुर राजस्थान

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नकः- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

चेतन शिक्षा र वक्ष पुत्र श्री राजवीर सिंह
अनुक्रमांक–1020061719
निवासी– ग्राम 8/117 ई0 3 जे0डी0 पब्लिक स्कूल के सामने न्यू लायर्स कालोनी
थाना–न्यू आगरा जनपद–आगरा

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

लोकेश कुमार पुत्र श्री गोपाल सिंह
अनुक्रमांक–153477090
निवासी– ग्राम बी–17/422 नई आबादी राजनगर लोहामण्डी
थाना–लोहामण्डी जनपद–आगरा

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह
अनुक्रमांक–1020583308
निवासी– ग्राम जौलाना पो0 फतेहपुर सीकरी
थाना–फतेहपुर सीकरी जनपद–आगरा

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के अध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विशाल सिंह पुत्र श्री लाल सिंह
अनुक्रमांक–3534477370
निवासी– ग्राम दौरेठा नं0 2 न्यू आबादी शाहगंज
थाना–शाहगंज जनपद–आगरा

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य मे पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशन सिंह
अनुक्रमांक–2020030614
निवासी– ग्राम डोडकरेरा पो0 रूनकता
थाना–सिकन्दरा जनपद–आगरा

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रनि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
कृते पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामवीर सिंह
अनुक्रमांक–2534796620
निवासी– ग्राम अकोला
थाना–कागारौल जनपद–आगरा

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हे प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःघॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह
मूलकसांo–3494695527
निवासी– ग्राम व पो0 छोलरछाड़ा
थाना–भुसावर जनपद–श्रीरामपुर राजस्थान

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- पुलिस **महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

रमेश कुमार सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक--103084005
निवासी-- ग्राम व पो0 जालौपा
थाना--कोतवाली नगर जनपद--अयोध्या

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सचिन देव वर्मा पुत्र श्री बब्बन कुमार वर्मा
अनुक्रमांक–203081753
निवासी– ग्राम म0न0 7/10/138 स्वामीविवेकानन्द नगर देवकाली
थाना–कोतवाली नगर जनपद–अयोध्या

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

धर्मेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र वर्मा
अनुक्रमांक–2030081262
निवासी– ग्राम भोपतिपुर
थाना–पूरा कलन्दर जनपद–अयोध्या

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- ग्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अनुराग वर्मा पुत्र श्री रामचरित वर्मा
अनुक्रमांक–3080262144
निवासी– ग्राम नसरतपुर बेलहिया
थाना–तरुण जनपद–अयोध्या

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सलेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अमित कुमार मौर्य पुत्र श्री राजित राम मौर्य
अनुक्रमांक–203079757
निवासी– ग्राम ओरवा अमानीगंज
थाना–खण्डासा जनपद–अयोध्या

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
कृ0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

राकेश कुमार प्रजापति पुत्र श्री बिहारी लाल प्रजापति
अनुक्रमांक–3030206628
निवासी– ग्राम बहेरवा पो0 पूरा बाजार
थाना–महाराजगंज जलालपुर–अयोध्या

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विनेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री जगुना प्रसाद गुप्ता
अनुक्रमांक--3603082140
निवासी-- ग्रामजमालपुर सुफियाना
थाना--खण्डासा जनपद--अयोध्या

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प्र-237/2019/1187 दिनांक 13.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
लि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

शरद सिंह पुत्र श्री मनोज सिंह
अभ्यर्थी क्रमांक--3030813668
निवासी-- ग्राम कोरो राघवपुर तहसील बीकापुर
थाना--हैदरगंज जनपद--अयोध्या

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रनि0-प्र-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
मि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विजय पाण्डेय पुत्र श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय
अनुक्रमांक–3030822041
निवासी– ग्राम रामोद्धरपुर पो0 जहड़ी
थाना–महाराजगंज जनपद–अयोध्या

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

मनोज कुमार पटेल पुत्र श्री रामनायक वर्मा
अनकमांक–1332882183
निवासी– म0न0 24 आनन्द बिहार कालोनी नाका बाईपास रोड ग्रा0 जनौरा पो0 गदवोपुर मझवा
थाना–कोतवाली नगर जनपद–अयोध्या

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सयंकधर द्विवेदी पुत्र श्री भागीरथ द्विवेदी
अभ्यर्थी क्रमांक–2030827655
निवासी–ग्राम इछौली पो0 अमानीगंज
थाना–खण्डासा जनपद–अयोध्या

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में पोलित विशेष अपील संख्याः-210/2019 अतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच--।।।(उ0नि0भा0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

राहुल पुत्र श्री लल्लू कनौजिया
अनुक्रमांक--1332262876
निवासी--ग्राम नगरिया पो0 हरीपुर जलालाबाद
थाना--पूरा कलन्दर जनपद--अयोध्या

विषयः--उपनिरीक्षक भा0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक भा0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

आजाद कुमार पुत्र श्री बृजराज
अनुक्रमांक–2332033003
निवासी–ग्राम देवरिया पोस्ट बाजन
थाना–इनायतनगर जनपद–अयोध्या

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रालि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगद्र प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच--।।।(उ0नि0भा0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विपिन कुमार वर्मा पुत्र श्री सुनील कुमार वर्मा
अनुक्रमांक--2030041182
निवासी--ग्राम भैरीपुर पो0 महबूबगंज
थाना--गोसाईगंज जनपद--अयोध्या

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

हर्षवर्धन सिंहपुत्र श्री अमरजीत सिंह
अनुक्रमांक–2756103384
निवासी–21 एमआईजी एडीए कालोनी निकट कमलानगर चौराहा स्टेनली शेड
थाना–कैण्ट जनपद–प्रयागराज

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
जि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आगत प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

आयुष कुमारओझा पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र कुमार ओझा
अनुक्रमांक–1706222283
निवासी–ग्राम बासपुर उपरहार
थाना–कुरछना जनपद–प्रयागराज

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
कि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

आलोक कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार
अनुक्रमांक--22815717
निवासी--ग्राम हैदरपुर दरबा
थाना--अलापुर जनपद--अम्बेडकरनगर

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवान्स, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगरको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉस–।।।(उ0पि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सौरेन्द्र मणि त्रिपाठी पुत्र श्री उमाकान्त त्रिपाठी
अनुक्रमांक–2261886585
निवासी–ग्राम सद्धाजीपुर
थाना–राजे सुल्तानपुर जनपद–अम्बेडकरनगर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रशि0-ब-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
कृते पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगरको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (उक्तवत अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अजीत कुमार पटेल पुत्र श्री रामअकबाल वर्मा
अनुक्रमांक--125188516
निवासी--ग्राम सतरही
थाना--सम्मनपुर जनपद--अम्बेडकरनगर

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगरको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःचॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2018)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

राजकुमार पुत्र श्री सजनयन यादव
अनक्रमांक–2362503556
निवासी–ग्राम भगवानपुर मंझरिया
थाना–आलापुर जनपद–अम्बेडकरनगर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 23.06.2019 को अपराह्न तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/10/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
लि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगरको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संरक्षक प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 19 2019

सेवा में,

चंदलाल पुत्र श्री भगवतीदीन
अनुक्रमांक–1251191379
निवासी–ग्राम पुरानीबे पोस्ट हुसैनपुर
थाना–हंसवर जनपद–अम्बेडकरनगर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगरको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 17 2019

सेवा में,

सुनील कुमार यादव पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद
अनुक्रमांक–1464140367
निवासी– ग्राम गोपीपुर भेमरखाडी
थाना–धनघटा जनपद–कबीरनगर

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक मा0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

17/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, कबीरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, बस्ती परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 19 2019

सेवा में,

सौरभ सिंह पुत्र श्री इरवीर सिंह
अभ्यर्थी क्रमांक–1534733345
निवासी– 220 सेक्टर 6ए आवास विकास कालोनी सिकन्दराबाद
थाना–जगदीशपुरा जनपद–आगरा

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रालि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 16 2019

सेवा में,

प्रतीक कुमार पुत्र श्री यतेश कुमार पुत्रिया
अभ्यर्थी कमांक--2584747761
निवासी-- 103 कावेरी बिहार समशाबाद रोड
थाना--ताजगंज जनपद--आगरा

विषयः--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रनि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** आगरा परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पाँच-।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक जून 19 2019

सेवा में,

अर्जुन कुमार पुत्र श्री रामजी
अनुक्रमांक-2003001102
निवासी-ग्राम बखबार खुर्द
थाना-इलायलनगर जनपद-अयोध्या

विषयः-उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती-2018 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम भा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** अयोध्या परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

मोहित यादव पुत्र सौदान सिंह यादव
अनुकमांक: 316174226
निवासीः नेकपुर पुराना डीएम रोड सिविल लाईन
तह0 जिलाः बदायूँ 243601

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

19/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बदायूँको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** बरेली परिक्षेत्र बरेली को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

हिमांशु चौहान पत्र चन्द्र प्रकाश सिंह
अनुक्रमांकः 155478018
निवासीः अहमद नगर थाना अमरोहा नगर विकास खण्ड अमरोहा तह0 अमरोहा
जिला अमरोहा 244221

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** अमरोहा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

अमित कुमार पुत्र मदनपाल सिंह
अनुक्रमांकः 330209077
निवासीः रसूलपुर फूना पो0 औरंगाबाद थाना शिवाला कला तह0 चान्दपुर
जिला बिजनौर 246725

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

अंकित कुमार पुत्र राजवीर सिंह
अनुक्रमांकः 255483117
निवासीः मलंगपुरा मजरा फत्तेउल्लापुर मकान न0 64 थाना धनौरा विकास खण्ड व तहसील धनैरा
जिला अमरोहा 244231

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** अमरोहा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

यश कुमार पुत्र श्री ऋषि पाल सिंह
अनुक्रमांकः 355483542
निवासीः ग्रा0 व पो0 सरकड़ी अजीज तह0 अमरोहा थाना डिडौली
जिला अमरोहा 244222

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** अमरोहा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

शिव कुमार पुत्र करनवीर सिंह
अनुक्रमांकः 158506112
निवासीः ग्रा0 रूस्तमपुर शेर उर्फ नारायणपुर थाना नहटौर विकासखण्ड नहटौर
तह0 धामपुर जिला बिजनौर 246733

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव. मे दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

अंकुर शर्मा पुत्र मनीष कुमार
अनुक्रमांक: 230208143
निवासीः म0सं0 240 सुभाष नगर तह0 नजीबाबाद थाना नजीबाद
जिला बिजनौर 246763

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

चींकू सैनी पुत्र श्री राजपाल सिंह
अनुक्रमांक: 230203648
निवासीः म0नं0 387 मौ0 काजीजादगान थाना/तह0 चाँदपुर
जिला बिजनौर 246725

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

9/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

मनोज कुमार पुत्र ओमकार सिंह
अनुक्रमांकः 116173955
निवासीः ग्रा0 कुन्दावली पो0 रूदायन तह0 बिल्सी थाना इस्लामनगर
जिलाः बदायूँ 243724

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के मानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बदायूँको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** बरेली परिक्षेत्र बरेली को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

मनीष कुमार सिंह पुत्र यशपाल सिंह
अनुक्रमांकः 216174990
निवासीः तोमर भवन न्यू आदर्श नगर कालौनी कोपरेटिव बैक के सामने वाली गली बदायूँ थाना सिविल लाइन तहसील बदायूँ
जिलाः बदायूँ 243601

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बदायूँको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** बरेली परिक्षेत्र बरेली को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

देवेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह
अनुक्रमांक:216177136
निवासीः ग्र0 नगला जाटाल मझरा अगोल पो0 नैथआ थाना बिल्सी
तहसील बदायूँ
जिलाः बदायूँ 243633

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व् अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बदायूँको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** बरेली परिक्षेत्र बरेली को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

सुमित गुप्ता पुत्र सरेश चन्द्र गुप्ता
अनुकमांकः 36175029
निवासीः ग्र0 वार्ड नां0 10 निकट दीपक टाकीज बदायूँ रोड बिसौली
थाना/वि0ख0/तह0 बिसौली
जिलाः बदायूँ 243720

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बदायूँको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** बरेली परिक्षेत्र बरेली को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

सौरभ यादव पुत्र जयवीर सिंह
अनुक्रमांकः 216176573
निवासीः ग्रा0 सलेमपुर पो0 परवेजनगर तह0 व थाना बिसौली
वि0ख0 आसफपुर
जिलाः बदायूँ 243001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बदायूँको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** बरेली परिक्षेत्र बरेली को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

प्रेम कुमार पुत्र शिवराज सिंह
अनुक्रमांकः 216174940
निवासीः ग्रा0 इमलिया पो0 दुगरैया थाना कुँवरगॉव
जिलाः बदायूँ 243601

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव में दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बदायूँको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** बरेली परिक्षेत्र बरेली को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

रोहित कुमार साहू पुत्र नरेश चन्द्र
अनुक्रमांकः 316176359
निवासीः म0 नां0 360 नाहर खॉ सराय लालपुल
जिलाः बदायूँ 243601

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बदायूँको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** बरेली परिक्षेत्र बरेली को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

नीरज राठौर पुत्र अशोक कुमार
अनुक्रमांक: 316175075
निवासीः मौ0 मधुबन कालोनी सिविल लाईन
तह0 जिलाः बदायूँ 243601

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बदायूँको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** बरेली परिक्षेत्र बरेली को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

रोहित गुप्ता पुत्र सूरजपाल गुप्ता
अनुक्रमांक: 216175001
निवासीः ग्रा0 खितौरा पा0 खितौरा थाना उघैती
वि0ख0 सहसवान तह0 बिल्सी जिलाः बदायूँ 243633

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बदायूँको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** बरेली परिक्षेत्र बरेली को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

पृथ्वी पाल सिंह पुत्र महिपाल सिंह
अनुक्रमांकः 116174871
निवासीः ग्रा0 व पो0 स्वरूपपुर थाना उघैती तह0 बिल्सी
जिलाः बदायूँ 243633

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ॥ यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बदायूँको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होनें हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** बरेली परिक्षेत्र बरेली को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

प्रशांत चौधरी पुत्र राकेश चौधरी
अनुक्रमांक 116180376
निवासीः पीतलनगरी सूरजनगर थाना कटघर
जिला मुरादाबाद 244001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

इन्द्रेश कुमार यादव पुत्र दीनदयाल यादव
अनुक्रमांकः 230208157
निवासीः ग्रा0 बीरबल पुर पो0 हसुपुरा तह0 चॉदपुर थाना नूरपुर
जिला बिजनौर 246734

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

16/9/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

विकेश कुमार पुत्र बालिस्टर वर्मा
अनुक्रमांकः 249403527
निवासीः म0नं0 90 श्याम कलोनी ज्वाला नगर थाना सिविल लाईन तह0 सदर
जिला रामपुर 244901

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

16/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रामपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

वरूण कुमार उपाध्याय पुत्र विष्णु गोपाल उपाध्याय
अनुक्रमांकः 1161840136
निवासीः सी–14 राम गंगा विहार फेस टू थाना सिविल लाईन
तह0 व जिला मुरादाबाद 244001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

10/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

शेखर पुत्र महेन्द्र पाल सिंह
अनुक्रमांकः 316185117
निवासीः ग्रा0 दौलतपुर अजमतपुर थाना मूढ़ पाण्डेय
तह0 व जिला मुरादाबाद 244001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

अनमोल शर्मा पुत्र प्रमोद कुमार शर्मा
अनुक्रमांक: 216183040
निवासीः मो0 रामतलैया लाइन पार गली ना0 02
थाना मझोला तह0 व जिला मुरादाबाद 244001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

19/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

पुनीत पाण्डेय पुत्र अशोक कुमार पाण्डेय
अनुक्रमांकः 216180517
निवासीः ग्र0 मोहब्बत पुर भगवन्तपुर थाना भोजपुर
तह0 व जिला मुरादाबाद 244001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 2019

सेवा में,

गौरव चौधरी पुत्र भयराज सिंह
अनुक्रमांकः 116184078
निवासीः ग्रा0 ढकिया नरू पो0 राजा का सहसपुर थाना व तह0 बिलारी विकासखण्ड बिलारी
जिला मुरादाबाद 244415

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/926 दिनांक 04.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

9/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय,** उन्नाव को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)